

बीकानेर राज्य का वाणिज्यिक महत्व (18वीं-19वीं शताब्दी)

कुलवन्त सिंह शेखावत^{1a}, प्रभात कुमार,^b

^aविभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैतारण, पाली, राजस्थान, भारत

^bशोधार्थी, एस.जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुड़ेला, झुझुनूं राजस्थान, भारत

ABSTRACT

मुगल सत्ता के पतनोन्मुख होने के पश्चात राजपूताने की बीकानेर राज्य की 18वीं - 19वीं शताब्दी के दौरान अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक परिवर्तन हुये। राज्य के व्यापारिक केन्द्रों के व्यापार में वृद्धि हुई। यहाँ के व्यापारिक मार्गों का प्रयोग काबुल, कंधार, सिंध, मुल्तान तक व्यापारियों ने किया उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया। राज्य के शासकों ने सदैव वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। जिससे 18वीं व 19वीं शताब्दी के दौरान बीकानेर राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों में अभिवृद्धि हुई।

KEY WORDS: बीकानेर राज्य, व्यापारिक वर्ग, साहूकार, पारगमन व्यापार

मुगलकालीन बीकानेर राज्य की अर्थव्यवस्था में व्यापार-वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा था यहाँ की भौगोलिक दशा में बड़ा भाग रेगिस्तान का था। राजपूत राज्यों के शासकों ने 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के पश्चात अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। मुगलों की पतनोन्मुख स्थिति ने बीकानेर राज्य के व्यापारिक मार्गों एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रभावित किया। उत्तर मुगलकाल में नादिरशाह एवं अहमदशाह अब्दाली आदि अफगान आक्रमणकारियों के नेतृत्व में पंजाब के मार्ग में उत्तर भारत पर एक के बाद एक आक्रमण हो रहे थे। अफगानों द्वारा पंजाब एवं उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लूटमार करते थे। जिससे मध्य एशिया, काबुल, कंधार से पंजाब होकर उत्तर भारत जाने वाला व्यापारिक मार्ग पूर्णतः असुरक्षित हो गया। अतः इन क्षेत्रों के व्यापारियों ने इस मार्ग को छोड़कर सिंध, मुल्तान के मार्ग से होकर बीकानेर राज्य से होते हुए दिल्ली एवं उत्तर भारत के अन्य व्यापारिक केन्द्रों में जाने लगे। इन व्यापारिक कारवाओं के इस बदलाव से राज्य में व्यापारिक गतिविधियों में बदलाव हुआ परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न कस्बों के व्यापारिक महत्व में अभिवृद्धि हुई, वे व्यापारिक केन्द्रों के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे।

राज्य में बीकानेर, राजगढ़, राजलदेसर, रत्नगढ़, अनूपगढ़, नोहर, भादरा, पूगल, चुरू, सुजानगढ़, सूरतगढ़, रेणी, लूणकरणसर एवं कोलायत आदि कस्बों की व्यापारिक महत्ता बढ़ी। सभी कस्बों के व्यापारिक वर्ग एवं बाह्य व्यापारियों ने पारगमन व्यापार में विशेष रूचि ली और उनके द्वारा अन्य क्षेत्रों से विभिन्न वस्तुएँ लाकर अन्य स्थानों को भेजा जाता था। कुछ वस्तुएँ राज्य में उत्पादित होती थीं, जिसमें विशेषतः ऊन एवं ऊन से बनी वस्तुएँ मुल्तानी मिट्टी, नमक एवं ऊंट प्रमुख थीं उनका निर्यात किया

जाता था। (राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में उपलब्ध 18वीं-19वीं शताब्दी की जगत बहियाँ) पारगमन व्यापार को एक बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के व्यापारियों ने किया वह सिंध, मुल्तान, दिल्ली, मालवा एवं राज्य के विभिन्न रियासतों से वहाँ उत्पादित माल को लाकर अन्य भागों में भेजकर अच्छा लाभ कमाते थे जिससे यहाँ के कस्बे व्यापारिक केन्द्रों एवं व्यापारिक समुदाय के रूप में प्रसिद्ध हुये। इस पारगमन व्यापार से राज्य की आय में वृद्धि हुई। राज्य की कुल आय में जगत से होने वाली आय का 17वीं शताब्दी के अंत में 1 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जो 18वीं शताब्दी के अंत (1795 ई.) में वह बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गयी। जिससे स्पष्ट है कि राज्य का पारगमन व्यापार उन्नत अवस्था में था। (देवड़ा, 1988पृ0174-175)

राज्य में बढ़ते व्यापारिक महत्व के कारण काबुल, कंधार, सिंध, मुल्तान के व्यापारिक वर्ग अपने कारवाओं के साथ राज्य के कस्बों में आकर व्यापक स्तर पर व्यापार करते थे। राजगढ़ में काबुल के अजायब खाँ, फख अली बेग एवं अब्दुल रहमान व्यापारियों ने आकर व्यापार किया। (कागदो री बही, 1757) मुल्तान का प्रसिद्ध व्यापारी रजाक खाँ तम्बोली सूखे मेवे लेकर राज्य में आया। वह अपने साथ 13 मन बादाम, 13 मन पीस्ता, 15 मन रोगन एवं 415 मन कोग लेकर आया। (जगत बही, 1750) मुल्तान का व्यापारी अजीज खाँ 46 ऊँटों पर एवं मुल्तानी छींट लेकर राज्य में बेचने के लिए आया। (वही) इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य में वाह्य व्यापारियों ने आकर व्यापार की गतिविधियों को तीव्रता प्रदान की। राज्य भी इन व्यापारियों को विशेष करों में छूट उनको सुरक्षा प्रदान करता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक इस पारगमन व्यापार के महत्व को बनाये रखा तत्पश्चात् रेलवे निर्माण, औपनिवेशिक नगरों के उदय और सांमंतीय नीतियों के

शेखावत और कुमारः बीकानेर राज्य का वाणिज्यिक महत्व

परिणामस्वरूप राज्य के व्यापारिक केन्द्र धीरे-धीरे अपनी अस्मिता खोते चले गये। यहाँ के व्यापारियों की हवेलियाँ भी उनकी समृद्धि की गवाह हैं। (शर्मा 1988 पृ० 21-22)

राज्य के शासकों के द्वारा निरन्तर प्रयास किये जाते थे कि राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो वह सदैव प्रयासरत रहकर व्यापारियों को प्रोत्साहित करते थे कि राज्य में स्थायी प्रवास करे और व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करें। राज्य के चूरू कस्बे के पोददार सेठों ने चूरू के ठाकुर की नीतियों से नाराज होकर चूरू से प्रवसित होकर जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में जाकर रामगढ़ शेखावाटी नामक एक नवीन कस्बा बसा दिया जो व्यापारिक रूप से प्रसिद्ध हुआ। महाराजा सूरतसिंह (1787-1827 ई.) ने अपने शासनकाल में प्रयास किये की वह पुनः चूरू में आकर बसे और व्यापार करे। (मरुश्री जुलाई दिसं ०१९८२) राज्य की आर्थिक समस्याओं के समय यह व्यापारिक वर्ग बैंकर के रूप में राज्य को ऋण प्रदान करता था। 1827 ई. में चूरू के सेठ मिर्जामिल पोददार ने महाराजा सूरतसिंह को 4 लाख रुपये का ऋण दिया था। (अग्रवाल 1978 पृ० 486) राज्य को आर्थिक समस्याओं एवं ऋण लेने की प्रवृत्ति से 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में छोटे साहूकारों द्वारा 24 एवं 36 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर ऋण देना प्रारंभ किया। गुंसाई, पुरोहित, बैरागी, अचारज जैसे ब्राह्मण वर्ग राज्य को ऋण देने लगे। (चिट्ठा एवम् खाता री बही नं० 1, 1763) राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर की कागदों री बहियों, चिट्ठा खाता री बहियों के दस्तावेजों में इस प्रकार के ऋणदाताओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण की सूचनाएँ मिलती हैं जिससे स्पष्ट हैं कि यह एक प्रकार से निश्चित समयावधि में व्याज के रूप में अच्छा लाभ कमाने वाला निवेशक साहूकार था जो राज्य

से व्यापाक स्तर पर उभर सामने आया अपितु राज्य के लिए कालान्तर में उनका भी भुगतान भी सही समय पर करना संभव नहीं रहा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक राज्य के व्यापारिक मार्गों, व्यापारिक केन्द्रों एवं व्यापारियों, बाह्य व्यापारिक वर्ग एवं नवीन उद्यमान साहूकार वर्ग के राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को तीव्रता से संचालित किया था।

सन्दर्भ

कागदो—री—बही नृ. 6, वि.सं. 1839 (1757 ई.) बीकानेर रिकॉर्ड्स,

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।

महाराजा सूरतसिंह का सेठ मिर्जामिल पोददार को लिखा पत्र, चैत्र सुदी 1 संवत् 1888 (1831 ई.) मरु—श्री शोध पत्रिका, नगर—श्री, चूरू, जुलाई—दिसम्बर 1982, पृ.सं. 28

चिट्ठा एवं खाता री बही नं. 1, वि.स. 1820 (1763 ई.)
कागदो—री—बही नं. 33/2, वि.स. 1884 (1827 ई.)
बीकानेर रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार,
बीकानेर

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में उपलब्ध 18वीं—19वीं शताब्दी की जगत बहियाँ।

शर्मा, गिरिजाशंकर (1988) मारवाड़ी व्यापारी, बीकानेर,
देवड़ा, जी.एस.एल (1988), राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था,
बीकानेर,

जगत बही नं. 81, वि.सं. 1807 (1750 ई.) बीकानेर रिकॉर्ड्स,
राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।

अग्रवाल गोविन्द, (1978) चूरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास, चूरू